अपील क्रमांक 212/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक /03/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 212/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर वफादार साथी न्यूज पोर्टल, साई सदन, बंधवापारा, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) पिन–492001 मो.नं. 9425520385	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 05.03.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रस्तुत तथा कार्यालय में दिनांक 20.02.2025 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 05.03.2025 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 02.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "आपके कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर के द्वारा दिनांक 01/12/2024 से 31/12/2024 तक जितने भी कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गए, उसके पालन प्रतिवेदन एवं अंतिम निरीक्षण तथा ठेकेदार एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता के बीच किये गए पत्राचारों, जवाबों तथा प्रमुख अभियंता द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय आदेश की छायाप्रति" उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 09.01.2025 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक12.02.2025 को प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 20.02.2025 को प्राप्त हुआ है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05.03.2025 को समय दोपहर 02.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 05.03.2025 को अपीलार्थी उपस्थित हुये। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में तथा समक्ष में तर्क के दौरान उल्लेख किया कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम के विरूद्ध है। यह असंभव है कि आपके कार्यालय द्वारा उक्त समयावधि (01.12.2024 से 31.12.2024) तक कार्यों का निरीक्षण न किया गया हो। जनसूचना अधिकारी स्वयं को सदोष लाभ व मुझे सदोष हानि पहुंचाने की मंशा से कार्यवाही कर जानकारी नही दिया गया।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2025 को सुनवाई में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष की ओर दिनांक 20.01.25 को प्रस्तुत की गई। तकनीकी कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 23.01.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 01.12.2024 से 31.12.2024 तक कार्यो का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/08/छ.ग./2025/1174, दिनांक 04.02.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित जानकारी हेतु प्रस्तुत आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों का पालन किया है?

6. प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के तहत जारी मार्गदर्शिका का अवलोकन किया गया। छ.ग. शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र. 2719/जी–1312/2009/1–13 दिनांक 27.09.2022 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण के पैरा 10 (अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार) का उद्धरण निम्नानुसार है:–

"किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। लोक सूचना अधिकारी से ऐसी सूचना देना भी अपेक्षित नहीं है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालना और/अथवा अनुमान लगाना; अथवा सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाना हो।"

7. प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष की ओर दिनांक 20.01.25 को प्रस्तुत की गई। तकनीकी कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 23.01.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 01.12.2024 से 31.12.2024 तक कार्यो का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/08/छ.ग./2025/1174, दिनांक 04.02.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका के उक्त पैरा 10 अनुसार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना सृजित करने की अपेक्षा नहीं है जो लोक प्राधिकरण के रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। अतः लोक प्राधिकारी के तकनीकी कक्ष में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, जनसूचना अधिकारी द्वारा तद्नुसार अपीलार्थी/आवेदक को अधिनियम में निहित समय सीमा में सूचित कर आवेदन का निराकरण किया गया है।

8. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:–

अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी "आपके कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर के द्वारा दिनांक 01/12/2024 से 31/12/2024 तक जितने भी कार्यों का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गए, उसके पालन प्रतिवेदन एवं अंतिम निरीक्षण तथा ठेकेदार एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता के बीच किये गए पत्राचारों, जवाबों तथा प्रमुख अभियंता द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय आदेश की छायाप्रति" के संबंध में तकनीकी कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 23.01.25 को टीप प्राप्त हुई कि" प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 01.12.2024 से 31.12.2024 तक कार्यो का निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है"। अतः निरीक्षण प्रतिवेदन जारी न होने की स्थिति में उसके आगे के दस्तावेज यथा उसके पालन प्रतिवेदन एवं अंतिम निरीक्षण तथा ठेकेदार एवं मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता के बीच किये गए पत्राचारों, जवाबों तथा प्रमुख अभियंता द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय आदेश की छायाप्रति कार्यालयीन रिकार्ड में उपलब्ध होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/08/छ.ग./2025/1174, दिनांक 04.02.2025 द्वारा अवगत कराई गयी सूचना, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विधिसम्मत है। प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण समाप्त कर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./212/बो.प्र./नि.स./2025/2119 नवा रायपुर, दिनांक 05 /03/2025

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर वफादार साथी न्यूज पोर्टल, साई सदन, बंधवापारा, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.) पिन–492001 मो.नं. 9425520385 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

05/03/2025

अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)